(b) During the period 1977-78 to 1980-81, a significant decline in food-grains production was registered in 1979-80, which was mainly on account of an acute and widespread drought in several parts of the country. In other years, the production has increased not only due to good weather conditions, but also on account of expansion of area under high-yielding varieties; increased consumption of chemical fertilisers; increase in irrigated area under crops; change in the cropping pattern through advancement in the sowing time of rice crop with the help of community nurseries; propagation of improved varieties through minikit programme; dissemination of new production technology through a massive programme of farmers training and education; etc. In addition, a three-pronged strategy has been adopted for increasing the production of pulses, which inter-alia includes (a) Accelerated efforts for yield maximisation, utilising the available technology; (b) increasing the irrigated area under moong, urd, gram, arhar, etc. and (c) inter-cropping of pulses with millets, oil-seeds, cotton, sugarcane, etc.

हिमाचल प्रदेश में डाक घर

850. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कुल कितने डाक-घर है ;

(ख) डाक घर या शाखा डाक घर खोलने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ;

(ग) केन्द्रीय सरकार उन शाखा डाक घरों के सम्बन्ध में बिल्डिंग के किराये के रूप में कितनी राशि का भुगतान कर रही है जिनके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है ; और

(घ) गत तीन वर्ष के दौरान विभिन्न डाक घरों और शाखा डाक घरों में कितने कर्मचारियों को धन का दुर्विनियोजन करने का दोषी पाया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) :

(क) 31-1-81 को हिमाचल प्रदेश में डाकघरों की संख्या 2334 थी ।

(ख) मानदंड विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) हिमाचल प्रदेश में केवल एक डाक घर हेतु 10/- रु० प्रतिमाह किराए के रूप में दिए जा रहे हैं ।

(घ) पिछले तीन वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में विभिन्न डाक घरों में 72 कर्मचारी धन का दुर्विनियोजन करने के दोषी पाए गए थे ।

विवरण

ग्रामीण इलाकों में डाक घर खोलने हेतु निर्धारित मानदंडों का सारांश

ग्रामीण इलाकों में डाक घर खोलने हेतु मानदंड निम्न है :—

संक्षिप्त रूप से, ग्रामीण इलाकों के गांवों में डाकघर निम्न शर्तों पर खोले जा सकते हैं :—

(1) ग्राम या तो ग्राम पंचायत मुख्यालय हो अथवा वहांकी आबादी कम से कम 2000 अथवा इससे अधिक होनी चाहिए ।

(2) वर्तमान डाकघर से उस ग्राम की दूरी कम से कम 3 कि० मी० होनी चाहिए ।

(3) प्रस्तावित डाकघर से अनुमानित आय उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत होने का अनुमान हो ।

पहाड़ी, जनजातीय तथा पिछड़े इलाकों के मामले में डाकघर निम्न शर्तों पर खोले जा सकते हैं :—

(1) ग्राम या तो ग्राम पंचायत मुख्यालय हो अथवा वहां की आबादी कम से कम 1000 होनी चाहिए (इस उद्देश्य से 1.5 कि0 मी0 अरीय दूरी के भीतर के ग्राम समूह को भी हिसाब में लिया जा सकता है)

(2) वर्तमान डाकघर से उस ग्राम की दूरी कम से कम 3 किलो-मीटर होनी चाहिए ।

(3) प्रस्तावित डाकघर से अनुमानित आय उसकी अनुमानित लागत को कम से कम 10 प्रतिशत होने का अनुमान हो ।

पोस्टमास्टर जनरलों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे डाकघर खोलने के 10 प्रतिशत मामलों में निर्धारित मानदण्डों में ढील दे सकते हैं ।

सामान्यतया ग्रामीण इलाकों में खोले गए नये डाकघर विभागेतर शाखा डाकघर स्तर के होते हैं। विभागेतर शाखा डाकघरों की विभागेतर एजेंट व्यवस्था करते हैं ।

राष्ट्रीय सेवा योजना

851. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सेवा योजना कब लागू की गई थी और उस पर अब तक कितना व्यय हुआ है ;

(ख) योजना के प्रभावी कार्यन्वयन के लिए क्या उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और उनको नवीनतम उपलब्धियां क्या हैं : और

(ग) क्या योजना उस उद्देश्य को पूरा कर रही है जिसको ध्यान में रखकर इसे शुरू किया गया था ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :

(क) राष्ट्रीय सेवा योजना सितम्बर, 1969 में लागू की गई थी । भारत सरकार द्वारा इस योजना में प्रारम्भ से वित्त वर्ष 1979–80 के अन्त तक 2,29,08,509/–रु० व्यय किया गया था । चालू वित्त वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए योजनेत्तर 246.14 लाख रुपये तथा योजनागत 35 लाख रुपये का बजट है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय सेवा योजना (एन० एस० एस०) तेशनल कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के विकल्प के रूप में अवर-स्नातक छात्रों को समाज सेवा तथा राष्ट्रीय उत्थान के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने, समुदाय जिसमें वे रहते हैं, की स्थिति तथा समस्याओं को समझने तथा सुलझाने, उनमें सामाजिक चेतना और श्रम की महत्ता के भाव पैदा करना तथा शिक्षित युवकों को समाज के और निकट लाने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी ।

योजना इस समय सभी राज्यों तथा विश्वविद्यालयों में कार्यान्वित की जा रही है । कुछ राज्यों में +2 स्तर के छात्रों को भी शामिल करने के लिए योजना का विस्तार किया जा रहा है । आशा है कि 1969 में 40,000 छात्रों को लेकर शुरू की गई यह योजना, 1980–81 में 4.75 लाख कर्मियों के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी । छात्रों को सड़कों, स्कूल भवनों, गांव के जोहड़ों और तालाबों के निर्माण और मरम्मत, वृक्षारोपण इत्यादि जैसे रचनात्मक कार्यों और इसके